45492
28/6/2022

सेवा में,

श्रीमान जन सूचना अधिकारी / मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
जनपद गौतमबुद्धनगर।

विषय :— सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

श्रीमानजी,

कृपया निम्नलिखित सूचनाऐं प्रदान कराने का कष्ट करें।

1. ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना फरवरी 1991 से पूर्व राजस्व अभिलेखो में दर्ज ऐसे कृषक जो ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र से बाहर के जनपद अथवा अन्य प्रदेशो के निवासी हैं, उन्हे **उत्तर प्रदेश प्रतिकर की अवधारणा एवं करार नियमावली 1997** के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रतिकर प्राप्त करने पर प्राधिकरण की नीति के अनुसार उनकी अर्जित भूमि के एवज में आबादी प्लॉट आवंटित किये जाने का प्रावधान हैं अथवा नहीं।

2. क्या ऐसे कृषक जो प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र से बाहर गैर जनपद व दूसरे प्रदेशों के निवासी हैं, जिनके प्राधिकरण की स्थापना के पूर्व से राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज चले आ रहे थें। उन्हे ग्राम तुस्याना, परगना व तहसील दादरी, जनपद गौतमबुद्धनगर में उनकी अर्जित भूमि के एवज में आबादी प्लॉट आवंटित किये गये हैं अथवा नहीं। यदि किये गये हैं तब आबादी प्लॉट के आवंटन से सम्बन्धित सूची भी उपलब्ध कराई जायें।

R.T.I-20738
P/O-LAND
29.6.22

दिनांक :— 27 / 06 / 2022

आवेदक

राजीव जैन पुत्र श्री महेन्द्र कुमार जैन,
निवासी एल 18, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली
110001 मो0न0—[redacted]

पोस्टल ऑर्डर संख्या 56F 405724 संलग्न हैं।